भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1513
31 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना

1513 श्री के.आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) इस संबंध में क्या पहल की गई हैं; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा एक केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ मांग आधारित हैं और इनके अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण/अवसंरचना को मजबूती मिलती है।

एमओएफपीआई ने दिनांक 30.06.2026 तक पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 1735 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनकी परियोजना लागत 33,163.34 करोड़ रुपये है, और 9,258.60 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता/सब्सिडी है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिनांक 30.06.2026 तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए कुल 2,00,421 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्वीकृति दी गई है, और 4,18,293 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 1438.29 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूँजी के साथ सहायता प्रदान की गई है।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत देश भर में 212 स्थानों पर 127 कंपनियों के 163 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और अब तक कुल 3271.44 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं।
